न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
71 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	29.07.2021	02.02..2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट महावीर मार्ग सबील शाह की चोकी के पास टोंक जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 4 विकास विहार कॉलोनी टोंक जिला टोंक राज0

2–श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुखलाल पार्टनर मैसर्स गोयल ऑयल प्रोडक्ट्स एफ–4 इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक जिला टोंक राज0 निवासी 326 के,जाटा पाडा पुरानी टोंक राज0

3–मैसर्स गोयल ऑयल प्रोडक्ट्स एफ–4 इण्डस्ट्रीयल एरिया टोक जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 02.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.06.2021 को समय 8.29 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट महावीर मार्ग सबील शाह की चोकी के पास टोंक जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट महावीर मार्ग सबील शाह की चोकी के पास टोंक जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 4 विकास विहार कॉलोनी टोंक जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani Meenakshi **Brand)** जिसके बैच नं0 112[illegible] 2021 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने [illegible] श्री पवन कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते न[illegible] हेतु [illegible] देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता पवन कुमार [illegible] कर प्रार्थी [illegible]ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम मे 455–455 ग्राम के 14 नग बोतल पैक के एक कागज के कार्टून मे **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani Meenakshi Brand) रखे हुये मे से 455–455 ग्राम के एक कार्टून मे से कागज के कार्टून को खोलकर 4 नग बोतल पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री पवन कुमार जैन को रू0 304/–अक्षरे तीन सौ चार रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani Meenakshi Brand) खरीदशुद्वा 455–455 ग्राम के 4 नग बोतल पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड को लेकर 4 नग बोतल पैक एक–एक नग के नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2864 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2864 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. पवन कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री पवन कुमार जैन ने मौके पर **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani Meenakshi Brand) का बतोर वारंटी बिल मैसर्स गोयल ऑयल प्रोडक्ट्स एफ–4 इण्डस्ट्रीयल एरिया टोक जिला टोंक राज0 का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 जीओपी 059 दिनांक 31.05.2021 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/2093 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/648/एक्ट/2021/677 दिनांक 09.06.2021 अनुसार पवन कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani Meenakshi Brand) खाद्य [illegible] मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) [illegible] (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकरण में [illegible] मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Meenakshi Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani Meenakshi Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी मीनाक्षी ब्राण्ड** (Mustard Oil Kachi Ghani Meenakshi Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट महावीर मार्ग सबील शाह की चोकी के पास टोंक जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 4 विकास विहार कॉलोनी टोंक जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुखलाल पार्टनर मैसर्स गोयल ऑयल प्रोडक्ट्स एफ–4 इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक जिला टोंक राज0 निवासी 326 के,जाटा पाडा पुरानी टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

2-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:44 IST
Reason: SelfAttested